प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 14.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 7,199.00 रु की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को 7,199.00 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- फ्राडर द्वारा खुद को रेलवे का अधिकारी बताकर पीड़ित के साथ दिनाँक 26.01.2026 को साइबर ठगी किया गया और पीड़ित के खाते से 7,199.00 रुपये की धोखाधड़ी की गयी। पीड़ित श्री नितीश मिश्रा पुत्र श्री अजय मिश्र निवासी मिश्रौलिया मिश्र थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर को हकीकत पता चलने पर अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। जिसमे पीड़ित द्वारा cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से शिकायत संख्या – 23102260026958 पंजीकृत की गयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक के खाते में धनराशि 7,199.00 रुपये वापस करा दी गयी। धनराशि वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीमः- प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ कुमार व रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार ।

जनता से अपीलः-

जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 482 वाहनों से 5,54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 482 वाहनों से 5,54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

दबिश के दौरान 33 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 04 नफर वारण्टी नाम पता 01. राजाराम पुत्र मिठ्ठू निवासी उसकाकला थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. हरिश्चन्द्र पुत्र उजागिर निवासी घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. ध्रुपचन्द पुत्र टिकोरी निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 04. बजरंगी लाल पुत्र जगरनाथ निवासी मोहनलाल पुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरिकेश बहादुर सिंह, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, का0 राजू गौड़।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 07 नफर वारण्टी नाम पता 01. समशुद होदा पुत्र हैदर अली निवासी लौकीलाला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. रामदास पुत्र सिद्धू निवासी मुड़ाडीहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 03. वलीउल्लाह पुत्र वाजिद अली 04. मतीउल्लाह पुत्र वाजिद अली 05. अब्दुल हई पुत्र वाजिद अली 06. मो0 शरीफ पुत्र अब्दुल हई निवासीगण देवरिया नासिर 07. शैलेष उर्फ निरहू पुत्र मगरु निवासी पैकवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 राघवेन्द्र सिंह, हे0का0 उदयभान यादव, का0 भूपेन्द्र कुमार दूबे, का0 रंजन राजभर, का0 भीम कुमार, का0 राधेश्याम गिरी, का0 भानु प्रताप सरोज।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता जोधन पुत्र मनोहर निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय सिंह, उ0नि0 श्री राम मिलन साहनी।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रणधीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह निवासी बूढ़ी बेलहर (देवरिया) थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 02. रामअवध पुत्र रामबरन निवासी गोपालपुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विजय शंकर पाण्डेय, उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, का0 ओमप्रकाश चौरसिया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 08 नफर वारण्टी नाम पता 01. झीनक पुत्र श्यामलाल ग्राम गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. महन्थ निषाद पुत्र मोतीलाल ग्राम छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 03. मोतीलाल निषाद पुत्र स्व0 कुबेर ग्राम छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 04. वेनी माधव पुत्र शंकर ग्राम रजनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 05. स्वामीनाथ सिंह पुत्र राम सनेही सिंह ग्राम अजांव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 06. रामचन्दर पुत्र स्व0 भगवती ग्राम दूधराकला पोस्ट मलौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 07. चन्द्रभान पुत्र रामपति यादव 08. शत्रुघन पुत्र रामपति यादव निवासीगण ग्राम कटार मिश्र थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव, उ0नि0 श्री हरिनारायण सिंह, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र यादव, हे0का0 इब्राहिम अली, हे0का0 सोनू पटेल, का0 सोनू कुमार, का0 मुन्नेलाल गुप्ता, का0 मनोज यादव, का0 महेशचन्द गुप्ता, रि0का0 सचिम मिश्रा, रि0का0 हरिशंकर यादव, रि0का0 देवेन्द्र वर्मा, ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 08 नफर वारण्टी 01. अमरनाथ पुत्र रामनयन ग्राम मुखलिसपुर थाना महुली 02. अफजल पुत्र नक्छेद निवासी जमुहट थाना महुली 03. करम हुसैन उर्फ नेमखाँ पुत्र लाल मोहम्मद निवासी जमुहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर सहित 08 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री जयहिन्द भारती, हे0का0 श्रीकान्त यादव, का0 विनोद मौर्या व रि0का0 जितेन्द्र कुमार यादव ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01.सूरत पुत्र लौटन केवट निवासी मरवटिया 02. नोखई पुत्र परदेशी निवासी जमोहरा उसुकपुरवा 03. रिंकू पुत्र रामलखन निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 श्री योगेश राय, उ0नि0 श्री जयनाथ यादव, कां0 मिन्टू गुप्ता हे0का0 मुरली मनोहर, कां0 धर्मेन्द्र यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा *श्री उमाशंकर त्रिपाठी* के नेतृत्व में थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2026 धारा 105/191(2)/115(2)/351(3)/352/291 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता कमलेश पुत्र रामानन्द निवासी शिवापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 14.06.2026 को खैरवा मोड़ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 09.06.2026 को वादी श्री अखिलेश यादव पुत्र पराग यादव ग्राम पोस्ट शिवापार थाना बखिरा जनपद कबीर नगर द्वारा थाना बखिरा पर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त व विपक्षीगण अपने खेत मे जानवर से सुरक्षा हेतु तार लगाकर उसमे सीधे करंट लगा दिये जिसके स्पर्श मे मेरा लड़का अमन पुत्र अखिलेश उम्र लगभग 10 वर्ष आ गया विद्युत स्पर्श मेरे लड़के की मृत्यु हो गयी है। विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी डंडा व ईट लेकर मेरे घर पर चढ़ आए और गाली गुप्ता देते हुए कहा कि तुम्हारा लड़का जो करंट से मरा है, उसके बारे में मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करओगे तो जान से मार देंगें। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बखिरा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-
वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, का0 राजन खरवार, रि0का0 अनुज सिंह।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहंदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 14.06.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2026 धारा 64(1)/87/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र धर्मदेव यादव निवासी भवानीगाड़ा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बनौली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र, का0 प्रवेश कुमार यादव ।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 14.06.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 254/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विक्की पुत्र स्व0 मग्गू निवासी घोरहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 14.06.2026 को अगया उर्फ सिदाही मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 12.06.2026 को वादिनी द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री गौतम यादव, का0 मनीष कुमार व म0का0 पूजा चौहान।

आदरणीय
सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 14.06.2026 को ग्राम बरोहिया थाना लालगंज बस्ती निवासी सत्येंद्र कुमार पुत्र रघुवर अपने चाचा के लड़कों महेंद्र पुत्र राजाराम , नरेंद्र पुत्र रामगुलाम के साथ मुख़लिसपुर में नहाने आया था। नहाने के दौरान गहराई की तरफ चले जाने से सत्येंद्र कुमार कुआनो नदी में डूब गये। मृतक सत्येंद्र का शव बहते हुए ग्राम प्रजापतिपुर के पास दिखाई दिया। प्राप्त सूचना के आधार पर मृतक सत्येंद्र कुमार के शव को कब्जे में लेकर थाना धनघटा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक/पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था मौजूद है। सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

सादर
पुलिस अधीक्षक
संतकबीरनगर

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 14.06.2026

- ☐ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के क्रम में बहु-बेटी सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन

- ☐ कुल 10 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन का सफल आयोजन, कुल 540 महिलाओं/बालिकाओं द्वारा किया गया प्रतिभाग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत 14 स्थानों पर बहु-बेटी सम्मेलन एवं महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 557 महिलाएँ/बालिकाएं उपस्थित रही।

कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न गांवो में जाकर बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित कर किया गया। जागरूकता कार्यक्रम 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा ग्राम धरमपुर में 02. थाना दुधारा द्वारा पिपरा बोरिंग, रसूलपुर, खटियांवा में, 03. थाना महुली द्वारा ग्राम जगदीशपुर में 04. थाना मेंहदावल द्वारा ग्राम करहना में 05. थाना बखिरा द्वारा तुरहा टोला में 06. थाना बेलहरकला द्वारा कन्धारपार में 07. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा सेवाइचपार में महिलाओं बहु-बेटियों एवं बालिकाओं को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान एवं शासन की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि शामिल रहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जैसे वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि। चर्चा के दौरान गुड टच – बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी विस्तृत रूप से वार्ता की गई तथा उपस्थित महिलाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

उक्त सम्मेलन का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि इस आयोजन से घरेलू हिंसा और पति-पत्नी के विवाद को खुलकर आपस में साझा करने का अवसर मिला है तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का अवसर मिला, हम लोग अपने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रर्दशन करते हुए आत्मनिर्भर बनेंगे।

महिलाओं द्वारा बताया गया कि पुलिस के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 14.06.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत पिंकबूथ परिवार परामर्श केंन्द्र सर्किल धनघटा थाना धनघटा द्वारा 07 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे 'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल) का आयोजन में **आज दिनांक 14.06.2026 को पिंकबूथ परिवार परामर्श केंन्द्र सर्किल धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर पर पिंकबूथ प्रभारी म0उ0नि0 सुश्री अंजली सरोज , सहायक प्रभारी उ0नि0श्री तूफानी सिंह यादव एवं म0का0 पूजा गौतम , म0का0 पिंकी कुमारी की अध्यक्षता में 07 मामले आये । जिनमें सुलह समझौता करवाया गया ।**

1. **प्रथम पक्ष- मन्जू देवी पत्नी महेन्दर ग्राम बरगदवा थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर** व **द्वितीय पक्ष- महेन्दर पुत्र स्व0 नरेश ग्राम बरगदवा थाना धनघटा जनपद- सन्तकबीरनगर** के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी- खुशी रहने को तैयार है। दोनों पक्षों में आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।
2. **प्रथम पक्ष-** ज्ञान्ती पुत्री रामपति ग्राम दौलतपुर थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर व **द्वितीय पक्ष-**सोनू पुत्र प्रहलाद ग्राम निरंजनपुर थाना धनघटा जिला संत कबीर नगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी- खुशी रहने को तैयार है। दोनों पक्षों में आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।
3. **प्रथम पक्ष-** बन्दना पुत्री रामबचन गुप्ता ग्राम बारीडीहा थाना धनघटा जनपद- सन्तकबीर नगर व **द्वितीय पक्ष-** राजू गुप्ता पुत्र राजाराम ग्राम जैदपुर बाजार थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी- खुशी रहने को तैयार है। दोनों पक्षों में आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।
4. **प्रथम पक्ष-** प्रेमचन्द पुत्र निर्मल ग्राम बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर व **द्वितीय पक्ष-**रजनी पत्नी सुनील ग्राम बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।
5. **प्रथम पक्ष-** पूजा पत्नी राजेश ग्राम कुरमौल थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर **द्वितीय पक्ष-** राजेश पुत्र स्व0 मिट्ठूलाल ग्राम कुरमौल थाना धनघटा जनपद- सन्त कबीर नगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी- खुशी रहने को तैयार है। दोनों पक्षों में आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।
6. **प्रथम पक्ष-** मीना देवी पत्नी गिरजेश ग्राम पड़रिया थाना धनघटा जनपद-सं0क0न0 व **द्वितीय पक्ष-** गिरजेश पुत्र हरिद्धार ग्राम पड़रिया थाना धनघटा जनपद-सं0क0न0 के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी- खुशी रहने को तैयार है। दोनों पक्षों में आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।

7. **प्रथम पक्ष-** अमित कुमार पुत्र निर्मल ग्राम करनपुर थाना महुली जनपद-सं0क0न0 व **द्वितीय पक्ष-** अमन पुत्र स्व0 राजकुमार राजभर ग्राम छितौनी थाना धनघटा जनपद-सं0क0न0 के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी- खुशी रहने को तैयार है। दोनों पक्षों में आपसी सहमती से सुलह समझौता कराया गया।

सूचना मिली